संख्या : 1/2015/जी0आई0-15/28-1-2015/3याचिका/2013टी0सी0

प्रेषक,

भूपेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय अनुभाग-1 लखनऊ :: दिनांक : 28 अप्रैल, 2015

विषय : उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य कार्मिकों के बंटवारे के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (एस0आर0), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 27(सी)/33/2005-एस0आर0एस0, दिनांक 27 मार्च, 2015 की छाया-प्रति एवं उसके साथ संलग्न गाइडलाइन्स की छाया-प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न गाइडलाइन्स के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें एवं अपने विभाग से सम्बन्धित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्हें प्रशासनिक एवं न्यायिक अड़चनों के कारण उत्तराखण्ड राज्य हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है, उनके सम्बन्ध में भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरणों पर सम्यक विचारण/जांच करते हुये अपने-अपने विभाग का प्रस्ताव दिनांक 30 मई, 2015 तक उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि सभी प्रकरण ससमय परामर्शीय समिति के समक्ष रखे जा सकें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इस विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय मंत्रिपरिषद के निर्णय दिनांक 13 जनवरी, 2015 के अनुसार यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रश्नगत गाइडलाइन्स के क्रियान्वयन के फलस्वरूप किसी भी संवर्ग/विभाग में पदों की संख्या में कमी न होने पाये।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(भूपेन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या :1/2015/ जी0आई0-15(1)/28-1-2015/3याचिका/2013टी0सी0, तद दिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(3) निदेशक (एस0आर0), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, तृतीय तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 27(सी)/33/2005-एस0आर0एस0, दिनांक 27 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में।
(4) पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, लखनऊ।
(5) सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
(6) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
(7) मुख्य स्थायी अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।

आज्ञा से,

(कृष्ण मोहन त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 13.09.2000 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के बीच कार्मिक आबंटन के निमित्त दिशा-निर्देश

मामले की पृष्ठभूमि

नवम्बर, 2009 में, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की राज्य सरकारें, उन पुलिस कार्मिकों जिन्हें प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण अथवा अपने आबंटन के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण उत्तर प्रदेश से कार्यमुक्त नहीं किया जा सका था, के **सापेक्ष** उत्तराखंड **को उतने रिक्त पदों** के स्थानांतरण के लिए सहमत हो गई थीं। तदन्तर **उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जब अनुपालन स्वरूप जारी किये गये दो शासनादेश केन्द्र सरकार की जानकारी में आये** तब राज्य सरकारों को कुछ सुझाव दिए गए थे तथा यह सुनिश्चित करने के लिए मुद्दे पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था कि कर्मचारी-आबंटन संबंधी निर्णय सभी राज्यों के लिए निष्पक्ष एवं उचित हों। इस संबंध में प्राप्त हुए प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं पर बाद की बैठकों में तथा पत्राचार के माध्यम से विचार-विमर्श किया गया था। संयुक्त सचिव (एटी एवं ए), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड दोनों राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ 01.09.2014 को हुई बैठक के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने दिनांक 27.12.2011 के पत्र सं. 948/28-01-2011 द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने पत्र सं. 305/XXXVII/11-23/2007, दिनांक 28.11.2011 द्वारा समर्थन दिए गए प्रस्ताव पर जगदीश नारायण दोहरे (रिट याचिका सं. 3636/2005) के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 10.01.2013 के निर्देशों के अनुसरण में विचार-विमर्श किया गया था। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड दोनों राज्यों की सरकारों ने क्रमश: दिनांक 28.01.2015 और 22.11.2014 के अपने पत्रों द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों की पुन: पुष्टि की है।

2. दोनों राज्य सरकारों के मध्य सहमति के आधार पर, उन कर्मचारियों, **जिन्हें प्रशासनिक अथवा कानूनी अडचनों के कारणों से कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा सका था,** के आबंटन के दिशा-निर्देशों में संशोधन के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है। ये दिशा-निर्देश दिनांक 13.9.2000 को अंतिम आबंटन के लिए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जारी किए दिशा-निर्देशों तथा इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों/स्पष्टीकरणों के **इस सीमा तक संशोधन के उपरान्त हैं।**

आबंटन के सिद्धांत

1. पात्रता

वे सभी कर्मचारी, जो प्रशासनिक एवं कानूनी बाधाओं के कारण उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड में कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं, यह लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं तथापि, कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियां इस लाभ के लिए हकदार नहीं होंगी -

(I) वे कर्मचारी जिनके विरूद्ध विभागीय जांच अथवा खुली सतर्कता जांच लंबित हो। तथापि, जांच के अंतिम परिणाम आने तक ऐसे कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।

(II) ऐसे कर्मचारी जिन्होंने, उन्हें आबंटित राज्य के संबंध में संशोधन करने के लिए पारस्परिक स्थानांतरण, दाम्पत्य नीति, चिकित्सकीय व्यथा, अ.जा./अ.ज.जा. नीति इत्यादि जैसे किसी विशेष प्रावधान का पहले ही उपयोग कर लिया हो।

(III) पर्वतीय उप-संवर्ग के कर्मचारी तथा पर्वतीय क्षेत्र **अथवा पर्वतीय क्षेत्र** की परियोजनाओं में नियोजित कर्मचारी।

(IV) दिनांक 09.11.2000 को अथवा इसके पश्चात नियुक्त किए गए कर्मचारी।

2. पदों का स्थानांतरण

इस योजना के अंतर्गत उक्त श्रेणी के जितने कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश में बनाये रखा जाएगा उतनी ही संख्या में रिक्त पदों को उत्तराखंड राज्य में स्थानांतरित किया जाएगा, उत्तराखंड राज्य द्वारा भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। संबंधित राज्य इस प्रकार हस्तान्तरित किये गये इन रिक्त पदों के लिए नए सिरे से भर्ती कर सकेंगे।

3. कर्मचारियों की सहमति

इस योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को उनके द्वारा विकल्प दिए गए राज्य को स्वत: ही पुन: आबंटन/प्रत्यावर्तन नहीं किया जाएगा। संबंधित राज्य सरकार एतदद्वारा निर्धारित समयबद्ध रीति से लिखित रूप में संबंधित कर्मचारी की सहमति प्राप्त करेगी। यदि किसी कर्मचारी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाता है तो संबंधित कर्मचारी अपने अदालती

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मामले को वापस लेगा तथा संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उसे इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

4. <u>वरिष्ठता का निर्धारण</u>

पुन: आबंटित किए जाने के इच्छुक कार्मिकों को उनके द्वारा विकल्प दिए गए राज्य में वही वरिष्ठता **प्राप्त होगी** जो उनकी **उत्तरवर्ती राज्य में** नियुक्ति से तत्काल पूर्व अर्थात 09.11.2000 को **उनके संवर्ग/बैच में** थी। इस प्रयोजनार्थ उन्हें अपने विकल्प दिए गए राज्य को प्रत्यावर्तित किए जाने के पूर्व नियत तिथि की स्थिति के अनुसार नियमित आधार पर उनके द्वारा धारित पद पर प्रत्यावर्तित किया जाएगा, जहां उपयुक्त समय के भीतर समीक्षा विभागीय पदोन्नति समिति (रिव्यू डीपीसी) की बैठकें आयोजित करके उनकी पदोन्नति, यदि पात्र पाए जाएँ, पर विचार किया जाएगा **और** उनको उनके ठीक नीचे के कनिष्ठों के समकक्ष ही रखे जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

5. <u>अधिसंख्य पदों का सृजन करना</u>

इस योजना के अंतर्गत समायोजित किए गए कर्मचारियों को, जहां तक संभव होगा, उनकी श्रेणी जैसे कि (सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व.) के अंतर्गत् उपलब्ध रिक्तियों के लिए समायोजित किया जाएगा। तथापि, इस योजना के अंतर्गत् यदि पुन: आबंटित किसी कर्मचारी के लिए कोई पद उपलब्ध न हो तो उसे इस शर्त के साथ अधिसंख्य पद का सृजन करते हुए समायोजित किया जाएगा कि अधिसंख्य पद को परवर्ती वर्षों में **उपलब्ध होने वाले** नियमित पदों के **सापेक्ष** समायोजित किया जाएगा।

6. <u>अनुमोदन का स्तर</u>

अंतिम निर्णय भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनिमय, 2000 के अंतर्गत कर्मचारियों के आबंटन संबंधी मामलों का समन्वय करने के लिए नोडल विभाग है, के माध्यम से प्राप्त हुई सूचनाओं के आधार पर लिया जाएगा।

संशोधित दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित समय-सीमा

क्र.सं.	**कार्रवाई की प्रक्रिया**	**समय-सीमा**
1.	विकल्प प्राप्त करने की अंतिम तिथि	15.05.2015

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.	विकल्पों की जांच करना	29.05.2015
3.	राज्य के एसआर प्रभाग द्वारा सलाहकार समिति को प्रस्ताव सौंपना	05.06.2015
4.	सलाहकार समिति द्वारा सिफारिशों की जांच करना	15.06.2015
5.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रस्ताव सौंपना	22.06.2015
6.	केन्द्र सरकार का अनुमोदन	30.06.2015

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।